3. अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन/जेम (GeM) संबंधी दिशा–निर्देश/टेण्डर प्रकिया संबंधी शासनादेश

विषय सूची

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम के कियान्वयन/अनुश्रवण एवं अन्य सम्बधित कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।	141009/XXVII(7)/22–E–32618/2022 दिनांक 26 जुलाई, 2023	55–56
2.	राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में निक्सी के माध्यम से मानव संसाधन आबद्ध किये जाने के संबंध में	126951/XXVII(7)/E–32618/2022, दिनांक 01 जून, 2023	57–58
3.	वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में ई–पोर्टल (uktenders.gov.in) के माध्यम से किये गये सभी प्रॉक्योरमेंट (Award of Contract (AOC)" की प्रति अनिवार्य रूप से ई–अधिप्राप्ति पोर्टल में अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में	108721/XXVII(7)/E–50742/2023, दिनांक 23 मार्च, 2023	59–60
4	राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अंतर्गत भविष्य में स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यो में वास्तुविद सेवायें (Architectural Service)/परामर्शी सेवायें लिये जाने में फीस का निर्धारण किये जाने के संबंध मे	96873/XXVII(7)/E–43511/2022, दिनांक 07 फरवरी, 2023	61–62
5	उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं का कय जेम (GeM) पोर्टल से किये जाने के संबंध में।	92937/XXVII(7)/E–35397/2022, दिनांक 23 जनवरी, 2023	63–64
6	कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposite) की दरों में कमी किये जाने के संबंध में।	81547/XXVII(7)/ई0–32618/2022, दिनांक 08 दिसम्बर, 2022	65–66
7	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) (संशोधन) नियामावली 2022	81928/XXVII(7)/E–20749/2022, दिनांक 8 दिसम्बर, 2022	67–68
8	ई–प्रॅक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत कियाविधि पोर्टल Procurement Grievance Mechanism (PGM) Portal के सम्बन्ध मे।	76221/XXVII(7)/E–32618/2022, दिनांक 16 नवम्बर, 2022	73–76
9	कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposite) की दरों में कमी किये जाने के संबंध में।	67831/XXVII(7)/21–32/2007टी.सी. दिनांक 03 अक्टूबर, 2022	77–78
10	जेम (GeM) पोर्टल से कय अनिवार्यता के दृष्टिगत प्रत्येक विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किये जाने के संबंध में।	128/XXVII(7)32/2007टी0सी0, दिनांक 02 सितम्बर, 2022	79–82

11	जेम (GeM) पोर्टल से क्रय अनिवार्यता के दृष्टिगत प्रत्येक विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु Workshop कराये जाने के सम्बन्ध में।	126 / XXVII(7)32 / 2007टी0सी0, दिनांक 31 अगस्त, 2022	83–84
12	उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पोर्टल से सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने आदि हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप	107 / (1) XXVII(7)32 / 2007टी0सी0–1, दिनांक 29 जुलाई, 2022	85–86
13	उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं मे सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में	103 / XXVII(7)32 / 2007टी0सी0–1, दिनांक 21 जुलाई, 2022	87–88
15	अधिप्राप्ति से सम्बन्धित ई–निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अनुबन्ध की प्रति अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में	I/50480 / 2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022	89–90
16	ई–प्रक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत कियाविधि पोर्टल Procurement Grievance Mechanism (PGM) Portal के सम्बन्ध मे।	11 / XXVII(7) / 32(01) / 2021, दिनांक 04 जनवरी, 2022	91–94
17	कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposite) की दरों में कमी किये जाने के संबंध में।	307 / XXVII(7) / 21–32 / 2007टी.सी. दिनांक 20 दिसम्बर, 2021	95–96
18	राज्य के विधिवत् गठित एवं पंजीकृत स्वंय सहायता समूहों / संघो द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाऐं प्रदान किये जाने के संबंध में।	298 / XXVII(7) / 32 / 2007T.C / 2020, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021	97–98
19	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	244 / XXVII(7) / 32 / 2007 T.C, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021	99–100
20	कोविड–19 के दृष्टिगत सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में कार्यपूर्ति प्रतिभूति एवं बिड सिक्योरिटी / अर्नेस्ट मनी की दरों में शिथिलता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप।	121 / (1) XXVII(7) / 21–32 / 2007टी.सी.ए दिनांक 29 अप्रैल, 2021	101–102
21	कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निमार्ण कार्यों एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टज प्रभार का निर्धारण के संबंध में	110 / (1) XXVII(7)50(42) / 2021, दिनांक 22 मार्च, 2021	103–104
22	निविदा के प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के संबंध में	43 / XXVII(7)32 / 2007टी0सी0, दिनांक 29 जनवरी, 2021	105–106
23	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) (संशोधन) नियमावली, 2021	02 / XXVII(7)32 / 2007T.C. / 2020, दिनांक 06 जनवरी, 2021	107–108

24	भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) के सम्बन्ध में	389 / XXVII(7) / 20–50(62) / 2013, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	109–110
25	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का पूर्णतः अनुपालन किये जाने के संबंध में	419 / XXVII(7)32–2007 / 2019, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019	111–112
26	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019	126 / XXVII(7)32–2007TC / 2019, दिनांक 12 जुलाई, 2019	113–116
27	छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्य (मेजर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में	323 / XXVII(7) / 19–50(07) / 2019, दिनांक 20 सितम्बर, 2019	117–118

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्याः /XXVII(7)/E-32618/2022

देहरादून दिनांक : 26 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम के कियान्वयन/अनुश्रवण एवं अन्य सम्बन्धि कार्यो में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2– उक्त कार्य हेतु निदेशक कोषागार को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देय न होगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 26-07-2023 11:52:40

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः 141009 (1)/ XXVII(7)/22-E-32618/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 26-07-2023 13:23:48

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

ई/126951/2023

ई/126951/2023

संख्या–126951 /XXVII(7)/E-32618/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 01 जून मई, 2023

विषयः राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में निक्सी के माध्यम से मानव संसाधन आबद्ध किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में नियोक्ता (Principal Employer) विभाग की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए उपनल एवं पी0आर0डी0 द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल आदि मानव श्रम/संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में विभागों में डिजिटाईजेशन के कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जी0आई0एस0 आदि के अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जिसके लिए इन एजेन्सियों के पास सम्बन्धित विशेषज्ञता का अभाव है।

2– अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत यथावश्यक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को निक्सी के माध्यम से सेवाओं की दरों की युक्तियुक्तता (rate reasonability) को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–111/XXX(2)/2018–30(12)/2018दिनांक 27.04.2018 (समय–समय पर यथाशोधित) एवं सुसंगत शासनादेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आबद्ध किया जा सकता है।

भवदीय,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 01-06-2023 16:04:13
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–126951/ XXVII(7)/E-32618/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 01-06-2023 16:46:21
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

/108721/2023

/108721/2023

संख्या– 108721/XXVII(7)/E-50742/2023

प्रेषक,

डॉ0 एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून: दिनांक: 23 मार्च, 2023**

विषय:– वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में ई–पोर्टल (uktenders.gov.in) के माध्यम से किये गये सभी प्रॅक्योरमेंट "Award of Contract (AoC)" की प्रति अनिवार्य रूप से ई–अधिप्राप्ति पोर्टल में अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–50480/XXVII(7)/E-32614/2022 दिनांक 18 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों में निविदा प्रकिया पूर्ण होने पर अनुबन्ध की प्रति (Award of Contract) अनिवार्य रूप से ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड कर उसे पूर्ण (Close) करने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। सरकारी अधिप्राप्ति (Public Procurement) में पारदर्शिता के दृष्टिगत यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, अधिकांश विभागों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति उचित नही है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ सभी (विभागों/कार्यालयों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपकमों) विभागाध्यक्षों को उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं आगामी 10 दिनों के भीतर लम्बित अनुबन्धों की प्रतियों (Award of Contract) को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 22-03-2023 19:16:26

भवदीय

(डॉ. एस.एस.संधु)
मुख्य सचिव।

संख्या– 108721 /XXVII(7)/E-50742/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

96873/2023

96873/2023

संख्या– 96873 / XXVII(7)/E-43511/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/

सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 7 फरवरी 2023

2023

विषयः राज्य के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत भविष्य में स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद् सेवायें (Architectural Services)/परामर्शी सेवायें लिये जाने में फीस का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह आया है कि उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद सेवाओं (Architectural services)/परामर्शी सेवाओं यथा कान्सेप्ट प्लानिंग एवं स्कैच, अनुमानित लागत, ड्राइंग एवं विशिष्टियां, विस्तृत आगणन, निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन सम्बन्धी सलाह, विस्तृत वर्किंग ड्राइंग/डिजाइन/गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्माण के दौरान स्थलीय भ्रमण एवं पर्यवेक्षण आदि लिये जाने में वास्तुविद/परामर्शी फीस का निर्धारण योजना की लागत के सापेक्ष प्रतिशत के आधार पर किया जा रहा है। वास्तुविद/परामर्शी द्वारा डिजाइन/प्लान/डी0पी0आर0 में ऐसे मद/घटक भी शामिल किये जा रहे हैं जिनसे विस्तृत आगणन की लागत में वृद्धि तथा लागत के सापेक्ष वास्तुविद/परामर्शी को देय फीस की धनराशि में भी वृद्धि हो रही है।

2– अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले निर्माण कार्यों में वास्तुविद/परामर्शी सेवायें लिये जाने में कन्सेंल्टेंसी फीस का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर न करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तो के अधीन एकमुश्त (LUMP SUM) धनराशि के आधार पर किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. किसी भी निर्माण कार्य के प्रारम्भ में विभाग यह निर्णय कर लें कि क्या यह कार्य उनकी इन हाउस टीम (In house team) द्वारा किया जा सकता है अथवा नहीं? इन हाउस केपबिलिटी (In house capability) न होने की स्थिति में ही बाह्य परामर्शी की सेवायें ली जाय।

ii. बाहय परामर्शी की सेवायें लिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्रस्ताव/दरें आमंत्रित करने से पूर्व यथोचित कार्यवाही (Due diligence) कर ली जायें। इसके अन्तर्गत Scope of Work / विभाग की आवश्यकताओं को विस्तृत रूप में निर्धारित कर स्पष्ट कर लिया जाय। निविदा प्रकिया में प्री–बिड कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाय, ताकि कार्य के Scope of Work पर सम्भावित वास्तुविद/परामर्शी के साथ चर्चा हो सके और किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे।

iii. वास्तुविद सेवाओं (Architectural services)/परामर्शी सेवाओं की लागत को मानकों के अन्तर्गत न्यूनतम आधार पर ही निर्धारित किया जाय। वास्तुविद सेवाओं/परामर्शी सेवाओं की लागत रू0 5.00 करोड़ तक के कार्यों के लिए निर्माण कार्य की लागत के 2% से अधिक नहीं होगी तथा रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के लिए इसकी अधिकतम सीमा निर्माण कार्य की लागत की 1.75% होगी। यदि वास्तुविद सेवाओं/परामर्शी सेवाओं की लागत निर्धारित सीमा से अधिक प्राप्त हो तो प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

iv. यदि किसी निर्माण कार्य में एक ही प्रकार के डिजाइन का उपयोग दोहराया जाता है तो वास्तुविद सेवाओं/परामर्शी सेवाओं के अन्तर्गत एक बार मानक डिजाइन हेतु भुगतान किये जाने के पश्चात् उसी मानक डिजाइन का प्रयोग निर्माण-परियोजना/कार्य के अन्य विस्तृत आगणन में पुनः किये जाने पर मानक डिजाइन के कार्य हेतु पुनः भुगतान नहीं किया जायेगा।

v. मानक डिजाइन वाले भवन निर्माण कार्यो को छोडकर रू0 3.00 करोड से अधिक लागत वाले भवन निर्माण कार्यो में तृतीय पक्ष से वास्तुविद सेवायें/परामर्शी सेवायें अनिवार्य रूप से लीं जायेंगी। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या--163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 मई, 2008 के बिन्दु संख्या--2 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

vi. डी0पी0आर0 में प्रावधानित स्थल विकास एवं अन्य मानक मदों, जिनमें वास्तुविद/परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो, उन मानक मदों को वास्तुविद सेवाओं की लागत में सम्मिलित न किया जाय।

vii. वास्तुविद सेवाओं/परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति ग्राहक विभाग द्वारा अथवा कार्यदायी संस्था के माध्यम से अधिप्राप्ति नियमावली, 2017(यथा संशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 06-02-2023 20:08:29
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या-- 96873/ XXVII(7)/E-43511/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 07-02-2023 11:13:01
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

1/92937/2023

1/92937/2023

संख्या– 92937 /XXVII(7)/E-35397/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय : उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं का कय जेम (GeM) पोर्टल से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–103/XXVII(7)/32/2007 T.C.-I दिनांक 21 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से कय जाने की व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्य में सामग्री की तात्कालिक आवश्यकताओं तथा राज्य की दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों में छोटे मूल्य की सामग्रियों के कय हेतु GeM पोर्टल के माध्यम से किये जाने की अनिवार्यता में छूट दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

2– अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रू0 25,000 (जीवन रक्षक औषधियों के कय के मामलों में रू0 50,000) मूल्य तक की सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति GeM पोर्टल से अथवा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017(समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत नियमों के अधीन किये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 20-01-2023 16:36:06
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

/81547/2022

/81547/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्या– ——— /XXVII(7)/ई0–32618/2022
देहरादून: दिनांक 8 दिसम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposit) की दरों में कमी किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–67831/XXVII(7)/ई0–32618/2022 दिनांक 03.10.2022 द्वारा राज्य में समाग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में दिनांक 31.03.2023 तक की जाने वाली निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 एवं नियम–44 में उल्लिखित कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposit) की 5-10% की दरों को कतिपय शर्तो के साथ तत्काल प्रभाव से 3 प्रतिशत किया गया है।

2– शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप द्वारा कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप की दरों में की गयी उक्त व्यवस्था को दिनांक 01.01.2022 से लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.10.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 81547 /XXVII(7)/ई0–32618/2022 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख/मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्ड़लायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी/विभागीय लेखा/लेखा परीक्षा(ऑडिट), देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

Signed by Ganga Prasad
Date: 07-12-2022 10:08:50
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

81928/2022
81928/2022

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

संख्याः 81928 /XXVII(7)/E-20749/2022

देहरादूनः दिनांक 8 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना संख्या–81923/XXVII(7)/E-20749/2022 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2022" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 100 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

संलग्नकः–यथोपरि।

Signed by Ganga Prasad
Date: 08-12-2022 11:19:57

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

2022

/2022.

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वि0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

संख्याः 81923/XXVII(7)/E-20749/2022

देहरादूनः दिनांक 8 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2022 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 32 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
32. राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमान्तर्गत स्थापित एवं विनिर्मित (Manufacture) करने वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) को सामग्री एवं सेवाओं हेतु प्रत्येक आमंत्रित निविदा की मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगी कि यदि प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित न्यूनतम दर (L_1) के L_1 + 10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों/क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिए L_1 + 15) तक	**32.** राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमान्तर्गत स्थापित एवं विनिर्मित (Manufactuer) करने वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टअप सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं को शासकीय अधिप्राप्ति में क्रय वरीयता दिये जाने के उद्देश्य से सामग्री/वस्तुओं की कुल वार्षिक अधिप्राप्ति में से 25 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा र्स्टाटअप सहित) के लिए निर्धारित किया जायेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टअप सहित) को प्रदेश के मध्यम व बृहत तथा प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणी के उद्यमों की तुलना में निविदा के

मूल्य उद्धृत किया गया हो, तो उनके मूल्य को L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे:	समय, यदि प्राप्त निविदाओं में प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म व लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) की निविदा दरें L_1 + 10 प्रतिशत (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी में सम्मिलित/आच्छादित क्षेत्र, में स्थित इकाईयों के लिए L_1 + 15 प्रतिशत) हों, तो L_1 मूल्य के स्तर पर लाकर प्रत्येक निविदा में अंकित सामग्री/सेवाओं की कुल मात्रा में से 40 प्रतिशत तक का आपूर्ति आदेश प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) को दिये जायेंगे।
परन्तु यह कि सूक्ष्म, लघु उद्यमों को L_1 + 10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों/क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिए L_1 + 15 प्रतिशत) से अधिक मूल्य की निविदा हेतु कोई क्रय वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी।	परन्तु यह कि सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टअप सहित) को L_1 + 10 प्रतिशत एवं (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी. में सम्मिलित/ आच्छादित में स्थित इकाईयों के लिए L_1 + 15 प्रतिशत) से अधिक मूल्य की निविदा हेतु कोई क्रय वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी।
परन्तु यह और कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।	परन्तु यह और कि प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (कुटीर, खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टअप सहित) से कुल वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत तक के लक्ष्य में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए 3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों से खरीद के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा। निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, यदि निविदा में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) द्वारा दी गयी दरें, न्यूनतम दर (L_1) ऑफर मूल्य के 15 प्रतिशत मूल्यबैण्ड (L_1 + 15) के भीतर हों, तो ऐसी दशा मे उक्त सूक्ष्म व लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) को L_1 के स्तर पर लाकर आपूर्ति आदेश दिये जायेंगे।

(क) संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) को नि:शुल्क निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराकर निविदा हेतु अग्रिम धरोहर राशि (EMD) में पूर्ण छूट दी जायेगी।

(ख) निविदा में सफल प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम 17 में निश्चित कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) के सापेक्ष 50 प्रतिशत अथवा निविदा मूल्य की 2.5 प्रतिशत जो भी कम हो, कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी।

(ग) प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (स्टार्टअप सहित) को सामग्री/सेवाओं के उपापन में गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर विनिर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन की पूर्व अर्हता (Pre-qualification)/मानदण्ड में निविदा मूल्य के आधार पर निम्नानुसार छूट दी जायेगी:

(एक) रू. 25 लाख तक की मूल्य निविदायें– पूर्ण रूप से छूट।

(दो) रू. 25 लाख से रू. 1 करोड़ तक की मूल्य निविदायें– निविदा में अंकित टर्नओवर तथा पूर्व अनुभव में 50 प्रतिशत छूट।

विशेष परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा ऑपरेशन और उपकरण, उत्पाद/सेवा की विशेषज्ञता एवं तकनीकी, विर्निर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा व परिचालन का अनुभव/प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तथा औसत सालाना टर्नओवर एवं पूर्व अनुभव की शर्त में कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (QCBS) प्रक्रिया में उक्त उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

मूल नियमावली में प्रतिस्थापित क्रय वरीयता नीति के उपबन्धों के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया/विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग की सहमति से जारी करेगा।'

आज्ञा से,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 08-12-2022 11:15:33
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

/76221/2022

/76221/2022

संख्या: 76221 /XXVII(7)/E-32618/2022

प्रेषक,

डॉ0 एस. एस. संधु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2022**

विषय:– ई–प्रॅक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत कियाविधि पोर्टल Procurement Grievance Mechanism (PGM) Portal के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)/32(01)/2021 दिनांक 04 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ई–निविदायें जिनका सम्भावित मूल्य रू0 1.00 करोड़ या अधिक है की ई–निविदा प्रकाशित होने पर उसका विवरण वेव लिंक **http://pgrm. uk.gov.in** पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने एवं प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही ई–निविदा प्रकाशित करने वाले सभी सरकारी / अन्य संस्थानों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पोर्टल में पंजीकरण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना (यू.के.पी.एफ.एम.एस.) द्वारा दिनांक 24–06–2022 एवं दिनांक 26–07–2022 को दो कार्यशालायें भी आयोजित की गयी थी जिनमें 19 विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। दिनांक 09–08–2022 तक 1.00 करोड़ या अधिक ई–निविदा प्रकाशित करने वाले प्रमुख विभागों को यू.के.पी.एफ.एम.एस. द्वारा पत्र संख्या–58379 दिनांक 27–08–2022 भी प्रेषित किया गया था।

3. दिनांक 13–10–2022 को विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर के साथ सम्पन्न बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लगातार अनुश्रवण एवं शासनादेश के निर्गमन के पश्चात भी विभागाध्यक्षों ने उक्त पोर्टल में न तो पंजीकरण किया गया है और न ही रू0 1.00 करोड़ या अधिक की निविदाओं का अंकन किया है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रॅक्योरमेंट में पारदर्शिता के दृष्टिगत यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है।

अत: इस सम्बन्ध में पुन: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्षों को उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 04–01–2022 के प्रावधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन करने एवं पोर्टल में एक सप्ताह के अन्दर लॉगिन कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही संगत सूचना अधीनस्थ विभागाध्यक्षों से संलग्न प्रारूप में 10 दिनों के भीतर

उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना (यू.के.पी.एफ.एम.एस.), देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 14-11-2022 19:09:04

(डॉ. एस.एस.संधु)
मुख्य सचिव।

संख्याः 7622 । /XXVII(7)/E-32618/2022तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढ़ीकरण परियोजना (यू.के. पी.एफ.एम. एस.), देहरादून।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 15-11-2022 14:44:39

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

प्रारूप

क्र.सं.	विभाग का नाम	विवरण
1.	पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने का दिनांक	
2.	वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक प्रकाशित रू0 1.00 करोड़ से अधिक मूल्य की ई–निविदाओं की संख्या	
3.	पोर्टल में अपलोड की गई ई–निविदाओं की संख्या	
4.	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
5.	निर्धारित समयावधि में निस्तारित शिकायतों की संख्या	
6.	अभ्युक्ति	

(विभागाध्यक्ष का नाम एवं हस्ताक्षर)

67831/2022

67831/2022

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वि0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक ~~सितम्बर~~ 03 अक्टूबर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:– कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप(Performance Bank guarantee cum security deposit) की दरों को कम किये जाने के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 एवं नियम–44 में सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में की जाने वाली निविदाओं में कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposit) को संविदा के मूल्य के 5-10% रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

2– अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य में सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में दिनांक 31.03.2023 तक की जाने वाली निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 एवं नियम–44 में उल्लिखित कार्यपूर्ति गारण्टी एवं प्रतिभूति निक्षेप (Performance Bank guarantee cum security deposit) की 5-10% की दरों को कम करते हुये संविदा के मूल्य का 3% किये जाने पर श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. यह व्यवस्था पूर्व से विद्यमान/चल रहे अनुबंधों पर लागू नहीं होगी।
2. विभिन्न विभागों के स्तर पर अतिरिक्त परफार्मेस सिक्योरिटी एवं रिटेंशन मनी के संबंध में लागू प्रावधान यथावत रहेगें।
3. उक्त व्यवस्था दिनांक 31.03.2023 तक ही प्रभावी रहेगी। दिनांक 31.03.2023 के पश्चात होने वाली निविदाओं पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017(समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित पूर्व व्यवस्था यथावत् लागू हो जायेगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 03-10-2022 13:32:57
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या: (1)/ XXVII(7)/21-32/2007टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख/मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्ड़लायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी/विभागीय लेखा/लेखा परीक्षा(ऑडिट), देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

Signed by Ganga Prasad
Date: 03-10-2022 15:48:31
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–/२१/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–।

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक ०२ सितम्बर, 2022

विषयः जेम (GeM) पोर्टल से क्रय अनिवार्यता के दृष्टिगत प्रत्येक विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–103/XXVII(7) /32/ 2007 T.C-I दिनांक 21 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से क्रय जाने की व्यवस्था को लागू किया गया है।

2– अवगत कराना है कि मा0 प्रधानमंत्री जी के साथ मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की बैठक के एजेंडा बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या–1164/44/रा0यो0आ0/2017 टी0सी0 दिनांक 18 अगस्त, 2022 द्वारा जेम पोर्टल से खरीदारी की अनिवार्यता के दृष्टिगत राज्य के प्रत्येक विभाग को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि GeM पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अनिवार्य रूप से अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मण्डल में संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित अधिकारियों को **अनिवार्य रूप** से प्रतिभाग किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

4– जेम (GeM) प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों का विवरण निम्नवत् प्रारूप पर E-mail ID– nodalgemuk@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	कार्यालय/विभाग का नाम	फोन न0	E-mail ID

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– / (1)/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
5. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, देहरादून।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

GeM पोर्टल के माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

क0 सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	निर्धारित तिथि	समय	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	देहरादून में तैनात वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.09.2022 (शनिवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक	PDU-CTRFA, SUDHHOWALA, DEHRADUN	श्री जे. राजा (GeM Facilitator) तथा श्री भूपेश तिवारी (सेवानिवृत्त, निदेशक, लेखा)	50
2.	देहरादून में स्थित राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	05.09.2022 (सोमवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक			60
3.	गढ़वाल मण्डल के जिला कोषाधिकारियो, मुख्य शिक्षाधिकारी/जिला शिक्षाधिकारी, जनपदीय वित्त अधिकारी, शिक्षा विभाग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	06.09.2022 (मंगलवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक			30
4.	कोषागार देहरादून से सम्बद्ध अधिप्राप्ति अधिकारी (GeM Buyer/PAO) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	09.09.2022 (शुक्रवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक		श्री जे. राजा (GeM Facilitator)	60
5.	साईबर कोषागार, देहरादून से सम्बद्ध अधिप्राप्ति अधिकारी (GeM Buyer/PAO) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.09.2022 (सोमवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक			60
6.	देहरादून स्थित राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थानों के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	13.09.2022 (मंगलवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक		श्री भूपेश तिवारी (सेवानिवृत्त, निदेशक, लेखा)	40
7.	नैनीताल/हल्द्वानी/ ऊधमसिंहनगर में स्थित राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रणों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.09.2022 (मंगलवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक	उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल	श्री जे. राजा (GeM Facilitator)	30
8.	कुमांऊ मण्डल के जिला कोषाधिकारियों, मुख्य शिक्षाधिकारी/जिला शिक्षाधिकारी, जनपदीय वित्त अधिकारी, शिक्षा विभाग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.09.2022 (बुधवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक			30

9.	जनपद स्तरीय कार्यालयों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	23 से 30.09.22 के मध्य	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक	जिला मुख्यालय/जिले के अन्य प्रमुख स्थान	मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी	70–100
10	जनपद में स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालयों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम				जिला शिक्षाधिकारी तथा वित्त अधिकारी, शिक्षा विभाग	40–50 (प्रति बैच)
11.	GeM पोर्टल के उपयोगकर्ताओं हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम	सितम्बर का अन्तिम सप्ताह	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक	ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से	श्री जे. राजा (GeM Facilitator)	40–50 (प्रति कार्यक्रम)
12.	विभिन्न विभागों/कार्यालयों की मांग के अनुरूप/शंका समाधान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	अक्टूबर का प्रथम सप्ताह				50–60 (प्रति कार्यक्रम)
13.	GeM पोर्टल में पंजीकृत अथवा पंजीकरण हेतु इच्छुक विकेताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	03.10.2022 (सोमवार)	प्रातः 10:00 से 1:30 बजे तक	PDU-CTRFA, SUDHHOWALA, DEHRADUN		50

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– 126 / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0– I

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी, GeM / अपर निदेशक,
कोषागार पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 31 अगस्त , 2022**

विषयः जेम (GeM) पोर्टल से क्रय अनिवार्यता के दृष्टिगत प्रत्येक विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु Workshop कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–107 / XXVII(7) /32/ 2007 T.C-I दिनांक 29 जुलाई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पोर्टल से सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने की प्रकिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2– अवगत कराना है कि मा0 प्रधानमंत्री जी के साथ मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार राज्य योजना आयोग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1164 / 44/ रा0यो0आ0 / 2017 टी0सी0 दिनांक 18 अगस्त, 2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–4 में उल्लिखित किया गया है कि " जेम पोर्टल से खरीदारी की अनिवार्यता के दृष्टिगत वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक विभाग को प्रशिक्षित करने के लिए वर्कशाप कराय जाय। इस प्रशिक्षण कार्य को माह अक्टूबर, 2022 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाय।"

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों / निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को GeM पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अनिवार्य रूप से अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मण्डल के प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– (1) / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0– I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री जे0 राजा, जेम विशेषज्ञ, उत्तराखण्ड।
5. उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
6. पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, देहरादून।
7. उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या __ / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0–।
देहरादून दिनांक : 27 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–103 / XXVII (7) / 2007–32 / 2007टी0सी0–। दिनांक 21.07.2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) पोर्टल से सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने एवं निम्नवत् व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु श्री विक्रम सिंह जन्तवाल, अपर निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है :–

(a) To facilitate registration on GeM of maximum number of suppliers & service providers located within the geographical limits of the State of Uttarakhand,
(b) To organize GeM user training to its officers and staff,
(c) To depute technical team well versed with the State Government Treasury/Payment system to interact with the GeM team for integration of the systems,
(d) To ensure immediate issuance of Provisional Receipt Certificate (PRC) upon receipt of goods/services and Consignee's Receipt-cum-Acceptance Certificate (CRAC) within ten (10) days of issuance of PRC, by the Consignee,
(e) To ensure payment to vendors/service providers within ten (10) days of issue of necessary order/notification &,
(f) To integrate the State Treasury with GeM, so that a PFMS-like system is established.

2– उक्त कार्य हेतु श्री जन्तवाल को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देय नहीं होंगी।

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– 107 (1) / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0–।, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।

5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या–103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0–।

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 21 जुलाई, 2022

विषयः उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के कय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की कय व्यवस्था हेतु गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस GeM) को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम–2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है।

2– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम–7(3) मे प्राविधान किया गया है कि " विभागों द्वारा गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग कर सामग्री का कय किया जा सकता है। गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर सामग्री कय की जाने वाली प्रकिया भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी। " इसी कम में गवर्नमेन्ट ई–मार्केट प्लेस (GeM) के संबंध में वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षारित किया गया है।

3– उक्त के कम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई–मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम–149(समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रख्यापित की जा रही है :–

1. जो सामग्री एवं सेवाएं GeM पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका कय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें GeM पर उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।
2. केता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि कय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने (reasonability of rates) को सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु जेम पोर्टल पर उपलब्ध व्यवसाय विश्लेषक (business analytics) टूल्स, जिसमें जेम पर उपलब्ध अंतिम कय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम कय मूल्य इत्यादि सम्मिलित हैं, का उपयोग कर

मूल्यों के संबंध में औचित्य सुनिश्चित कर लेंगे एवं उसके बाद ही अपने क्रय आदेश देंगे।

3. GFR के नियम–149 में निर्धारित प्राविधानों की सीमाएं केवल GeM पर क्रय हेतु होगी। अन्य विधियों से अधिप्राप्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत नियमों के अधीन की जायेगी।
4. सामग्री व सेवाओं की आवश्यकता को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभक्त कर क्रय नहीं किया जाएगा।
5. समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उधमों/निगमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं की निविदाओं की प्रकिया पूर्ण होने पर पोर्टल में अनुबंध की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड कर उसे पूर्ण (Close) करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम–7(3) में तद्नुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

4– कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से सुसंगत निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)32/2007 टी0सी0– I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

50480/2022

50480/2022

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 18 जुलाई, 2022

विषयः– अधिप्राप्ति से सम्बन्धित ई–निविदाओं की प्रकिया पूर्ण होने पर अनुबन्ध की प्रति अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों की निविदायें ई–पोर्टल uktender.gov.in पर अपलोड करके निष्पादित की जाती है। किसी भी निविदा को पोर्टल में निविदा के प्रकाशन से प्रारम्भ होकर अनुबन्ध गठित होने तक निविदा पूर्ण होती है।

2. विगत वर्षों में प्रकाशित निविदाओं की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुल प्रकाशित निविदाओं के लगभग 10% निविदाओं की ही अनुबन्ध की प्रति अपलोड कर निविदा प्रक्रिया को पूर्ण (close) किया जाता है और 90% निविदा में अनुबन्ध की प्रति अपलोड न किये जाने के कारण पूर्ण (close) नहीं होती है, जो उचित नहीं है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों की निविदाओं की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पोर्टल में अनुबन्ध की प्रति अनिवार्य रूप से अपलोड कर उसे पूर्ण (close) करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

Signed by Anand Bardhan
Date: 15-07-2022 21:04:52
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– 11 /XXVII(7)/32(01)/2021

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 04 दिसम्बर, 2021

विषय:– ई– प्रोक्योरमेंट हेतु अधिप्राप्ति शिकायत क्रियाविधि पोर्टल (Procurement Grievance Mechanism Portal) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोक्योरमेंट हेतु जो ई–निविदायें प्रकाशित होती हैं, उनके संदर्भ में कतिपय विसंगतियां/त्रुटियां होने की शिकायत दर्ज होने पर उनके समाधान हेतु वर्तमान में कोई ऑनलाईन व्यवस्था नहीं है। प्रोक्योरमेंट में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वर्तमान में विश्व बैंक सहायतित UkPFMS परियोजना के अन्तर्गत प्रोक्योरमेंट समाधान पोर्टल लांच किया जा रहा है, जिसका वेब लिंक http://pgrm.uk.gov.in है। इस पोर्टल का उपयोग राज्य के उन सभी विभागों/प्रतिष्ठानों को करना अनिवार्य होगा, जिन पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली लागू है। इसके अतिरिक्त वाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAP)/भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रोक्योरमेंट भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी प्रकार की ई–निविदायें जिनका संभावित मूल्य रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) या अधिक है, में उसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से इस पोर्टल में की जायेगी। इस पोर्टल के उपयोग व इसमें प्रविष्टियों का अंकन किये जाने की प्रकिया निम्नवत् होगी:–

1. ई–निविदा प्रकाशित करने वाले सभी सरकारी/अन्य संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारी को सर्वप्रथम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रारम्भ में प्रत्येक विभागाध्यक्ष को login दिया जायेगा, जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थ user create कर सकता है। रजिस्ट्रेशन हेतु उसे ई–मेल अंकित करना होगा एवं यथानिर्दिष्ट प्रविष्टियों का अंकन पोर्टल में करना होगा।
2. जब कभी किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कोई ऐसी ई–निविदा, जिसका अनुमानित मूल्य रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) या उससे अधिक हो, ई–निविदा पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी तो उसके द्वारा सम्बन्धित निविदा का आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। इससे सम्बन्धित ई–निविदा की निविदा आई0डी0 एवं अन्य विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगी।
3. शिकायत/सुझाव दर्ज करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसे विभाग का नाम एवं निविदा की आई0डी0 का अंकन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने पर उसके मेल पर एक लिंक आयेगा, जिसे क्लिक करने पर ही वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् उस व्यक्ति के सामने शिकायत/सुझाव अंकित करने हेतु स्कीन खुलेगी, जिस पर वह निविदा के तकनीकी/वित्तीय पक्षों पर अपनी शिकायत/सुझाव का अंकन करेगा, जो अधिकतम 500 शब्द का हो सकेगा। इसको पूर्ण करने के पश्चात् पोर्टल पर submit किया जायेगा। शिकायत के पोर्टल पर submit होते ही निविदा आमंत्रित करने वाले

अधिकारी को ई–मेल पर उक्त आशय की सूचना स्वयमेव मिल जायेगी एवं पोर्टल में यह प्रदर्शित होगा कि सम्बन्धित निविदा पर एक शिकायत अंकित है। यदि शिकायत से सम्बन्धित कोई अभिलेखीय साक्ष्य है तो शिकायतकर्ता उसे पोर्टल में अपलोड कर सकता है।

4. ई–निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी पोर्टल पर उस शिकायत का समाधान शिकायत प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर करेगा एवं स्टेटस में यह अंकित करेगा कि शिकायत विचारयोग्य (Admissible) पाये जाने पर नियमानुसार समाधान किया गया अथवा सकारण निरस्त (Closed) गयी है। इसके अंकन पर शिकायतकर्ता के ई–मेल पर तदनुसार सूचना स्वयंमेव चली जायेगी। यदि निर्धारित अवधि में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है तो शिकायत/सुझाव स्वय अपीलीय अधिकारी हेतु अग्रसारित हो जायेगी।

5. शिकायतकर्ता/सुझावकर्ता को इस पोर्टल पर अपनी शिकायत/सुझाव अंकित करने हेतु निविदा के प्रकाशन से 60 दिन अधिकतम अथवा अनुबन्ध गठित होने की तिथि, जो भी पहले हो तक का समय उपलब्ध रहेगा। इसके उपरान्त की गई शिकायत कालबाधित (Time Barred) मानी जायेगी एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. यदि शिकायतकर्ता/सुझावकर्ता ई–निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वहऐसे निर्णय अंकन करने के दिनांक से 8 दिनों के अन्दर अपनी अपील उक्त पोर्टल में ही अपीलीय अधिकारी को अंकित करेगा, जिसका निस्तारण 15 दिवसों में अपीलीय अधिकारी सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील का निस्तारण नहीं किया जाता है तो इस आशय का विवरण मुख्य सचिव के ई–मेल आई0डी0 में स्वयमेव अग्रसारित हो जायेगा। परन्तु अपील का निस्तारण अपीलीय अधिकारी को करना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार आपत्तियों/सुझावों के अंकन एवं उनके समाधान हेतु ई–निविदा प्रकाशन से कुल 90 दिनों का समय उपलब्ध रहेगा।

7. ई–निविदा की तिथि विस्तारित किये जाने की स्थिति में उक्त समय सारणी ई–निविदा विस्तारित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

8. स्थापित वित्तीय नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है। कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग ये तीन स्तर हैं। अतः कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के स्तर से प्रकाशित होने वाली सभी निविदाओं हेतु क्रमशः विभागाध्यक्ष एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव अपीलीय अधिकारी होंगे। कार्यो की अधिकतता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी कोअपील के निस्तारण का कार्य प्रतिनिधानित कर सकते हैं।

9. ई–निविदा के प्रकाशन/विस्तारित किये जाने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर अथवा अनुबन्ध गठित होने की तिथि में से जो भी पहले हो, तक यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं तो गठित किये गये अनुबन्ध की प्रति के प्रथम व अंतिम पृष्ठ को अपलोड करने पर वह निविदा पोर्टल में hide हो सकेगी एवं उसके पश्चात कोई शिकायत/सुझाव पोर्टल में अंकित नहीं हो सकेगा। अनुबन्ध की प्रति पोर्टल में अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सूची में अनुबन्ध से सम्बन्धित निर्धारित सूचनाओं का अंकन भी किया जाना होगा।

10. किन्तु यदि उपरोकतानुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उक्त समय सारणी के अनुसार उसका अन्तिम रूप से निस्तारण करने के पश्चात ही गठित किये गये अनुबन्ध की प्रति के प्रथम व अंतिम पृष्ठ को अपलोड़ करने एवं सूची में निर्धारित सूचनाओं के अंकन करने पर ही वह निविदा पोर्टल में hide हो सकेगी एवं उस तिथि के पश्चात कोई

शिकायत/सुझाव पोर्टल में अंकित नहीं हो सकेगी। अनुबन्ध की प्रति पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11. इस प्रक्रिया का MIS भी यथावश्यक रखा जायेगा।
12. प्रारम्भ में यह पोर्टल ITDA के सर्वर पर Host किया जायेगा। कालान्तर में राज्य सरकार के प्रोक्योरमेंट का परिवर्तित पोर्टल तैयार होने पर उसी पोर्टल में एक लिंक के द्वारा इस पोर्टल को समाहित किया जायेगा।
13. परियोजना अवधि समाप्त होने के उपरान्त पोर्टल का रख–रखाव निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में ई–प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा किया जायेगा।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)/32(01)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्या: 307/XXVII(7)/21-32/2007 टी.सी.
देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– प्रचलित अनुबंधों की कार्यपूर्ति (Performance Bank Guarantee Cum Security Deposit) की दरों में कमी किये जाने के संबंध में।

सामान्य वित्तीय नियम (GFRs) 2017 में सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में Performance Security (कार्यपूर्ति प्रतिभूति) एवं Bid Security/ Earnest Money Deposit (प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि) में उल्लिखित प्राविधानों में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.11.2020 द्वारा दी गयी शिथिलता के अनुसार वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–121/XXVII(7)/21-32/ 2007T.C. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 द्वारा सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की वर्तमान में प्रचलित और दिनांक 31.12.2021 तक की निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 में उल्लिखित कार्यपूर्ति प्रतिभूति की 5-10% की दरों में कमी करते हुये संविदा के मूल्य का 3% एवं नियम–36 में उल्लिखित निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि (Bid Security/Earnest Money Deposit) के स्थान पर दिनांक 31–12–2021 तक प्राप्त होने वाली निविदाओं में निविदा प्रपत्र में Bid Security Declaration का प्रविधान किया गया।

2– कतिपय स्त्रोतों से यह पृच्छा की जा रही है कि क्या प्रचलित अनुबन्धों के विरूद्ध जमा कराई गयी कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Bank Guarantee Cum Security Deposit) की दरों में कमी करने के सम्बन्ध में भी उक्त कार्यालय ज्ञाप लागू है।

3– इस संबंध में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार के उक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–121/XXVII(7)/21-32/2007T.C. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित शर्तों के अधीन सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की वर्तमान में प्रचलित संविदाओं (contracts) और दिनांक 31.12.2021 तक की निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 एवं नियम–44 में उल्लिखित कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Bank guarantee cum security deposit) की 5-10% की दरों को कम करते हुये संविदा के मूल्य का 3% रखा जायेगा। उक्त दर में दिनांक 31.12.2021 के पश्चात कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, किन्तु कम की गई उक्त कार्यपूर्ति प्रतिभूति का लाभ उन संविदाओं में प्रदान नहीं किया जायेगा जिनमें कोई विवाद है और आर्बिटेशन या मा0 न्यायालय में कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है या विचाराधीन है।

4– कम की गयी उक्त कार्यपूर्ति प्रतिभूति, संविदा की समस्त अवधि के लिए लागू रहेगी। उक्त व्यवस्था दिनांक 31.12.2021 तक ही प्रभावी रहेगी। दिनांक 01.01.2022 से होने वाली निविदाओं पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017(समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित पूर्व व्यवस्था यथावत् लागू हो जायेगी।

5– उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप संख्या–121/XXVII(7)/ 21-32/2007T.C. दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 307(1)/ XXVII(7)/21-32/2007टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख/मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी/विभागीय लेखा/लेखा परीक्षा(ऑडिट), देहरादून।
8. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– 298 /XXVII(7)/32/2007T.C./2020

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2021**

विषयः– राज्य के विधिवत् गठित एवं पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों/संघो द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाऐं प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या–02/XXVII(7)/32/ 2007 T.C./2020 दिनांक 06 जनवरी, 2021 द्वारा भारत सरकार में प्रचलित Vocal for local नीति के अनुसार स्थानीय रूप में उत्पादित सामान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के स्वयं सहायता समूहों/संघों को उनके द्वारा स्वयं उत्पादित उत्पादों/सामग्री को सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/उपक्रमों/निगमों आदि में सीमित निविदा पृच्छा के माध्यम से अधिप्राप्ति किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम–9(1) के परन्तुक में व्यवस्था उपबन्धित की गयी है। उक्त के कम में शासनादेश संख्या–04/XXVII(7)/32/ 2007 T.C./2020 दिनांक 06 जनवरी, 2021 द्वारा राज्य के स्वयं सहायता समूहों/संघो से उनके द्वारा स्वयं उत्पादित उत्पादों की 05 श्रेणियां यथा Handicraft, Handloom textiles, grocery & pantry, office accessories and personal care & hygiene product से सम्बन्धित सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त चिन्हित उत्पादों की 05 श्रेणियों के अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा जन जागरूकता संबंधी कार्य, सामाजिक अंकेक्षण, मेडिकल किट/मास्क/राशन वितरण, सी0आर0पी0 द्वारा क्षमता विकास आदि विभिन्न प्रकार की सेवायें निम्न शर्तो के अधीन अधिप्राप्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विभागों/उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा स्वयं सहायता समूहों/संघो से उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को एक बार में रू0 5.00 लाख की सीमा तक अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

(ii) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं की एक सूची तैयार की जायेगी, जिसे समय–समय पर अपडेट किया जायेगा।

3– उक्त अधिसूचना संख्या–02 दिनांक 06 जनवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या–04 दिनांक 06 जनवरी, 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-298 (1)/XXVII(7)/32/2007T.C./2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– / XXVII(7)/32/2007TC

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक: 08 अक्टूबर, 2021

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कोविड–19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट एवं प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल नियमावली एवं सुसंगत आदेशों में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धिः–

क्र. सं.	पंजीकरण की श्रेणी	निर्माण लागत की सीमा शासनादेश संख्या–1197/ III(2)/07–75(सामान्य)/2000 दिनांक 24–02–2014 द्वारा	संशोधित लागत सीमा
1	2	3	4
1.	श्रेणी 'घ' (Class D)	रू0 50.00 लाख तक	रू0 75.00 लाख तक
2.	श्रेणी 'ग' (Class C)	रू0 1.00 करोड़ तक	रू0 1.50 करोड़ तक
3.	श्रेणी 'ख' (Class B)	रू0 2.00 करोड़ तक	रू0 3.00 करोड़ तक
4.	श्रेणी 'क' (Class A)	रू0 2.00 करोड़ से अधिक	रू0 3.00 करोड़ से अधिक

(1) बिना कार्यानुभव के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु श्रेणी 'E' के रूप में एक नयी श्रेणी सृजित की जाती है। श्रेणी–'E' के रूप में पंजीकृत ठेकेदारों को अधिकतम रू0 20.00 लाख तक के कार्य आवंटित किये जा सकते हैं।

(2) श्रेणी–'AA' को समाप्त किरग जाता है।

(2) कार्यादेश की अधिकार सीमा में वृद्धिः–

वर्तमान नियम (शासनादेश संख्या–434/XXVII(7)36/2010 दिनांक 23–12–2019 द्वारा)	संशोधित नियम
1	2
रू0 2.50 लाख मात्र	रू0 5.00 लाख मात्र

(1) कार्यादेश की उक्त संशोधित सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक के लिए लागू होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कार्यादेश की सीमा पूर्ववत् रू0 2.50 लाख होगी।

(3) ई–टेण्डरिंग की न्यूनतम सीमा में वृद्धिः–

रू0 35.00 लाख (रू0 पैतीस लाख मात्र) से अधिक की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक ई–निविदा के माध्यम से कराये जाय। उक्त तिथि के पश्चात् पूर्व व्यवस्था स्वतः ही यथावत् लागू हो जायेगी।

2. [illegible] [illegible]) नियमावली, 2017 एवं तत्ससम्बन्धी अन्य सुसंगत आदेश [illegible] उक्तानुसार [illegible] [illegible] कर लिया जायेगा।

3. [illegible] अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं शासनादेश संख्या 1197/ III(2)/07–75(सामान्य)/2000 दिनांक 24–02–2014 एवं शासनादेश संख्या 134/XXVII(7)36/2010 दिनांक 23–12–2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–२५५(1)/XXVII(7)/30/2007TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः / XXVII(7)/21-32/2007टी.सी.
देहरादूनः दिनांक 29 अप्रैल, 2021

कार्यालय–ज्ञापन

कोविड–19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञापन संख्या–F.9/4/2020-PPD dated 12th November, 2020 व समसंख्यक कार्यालय –ज्ञापन दिनांक 12.11.2020 के द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (GFRs) 2017 में सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गयी हैः–

(a) Performance Security (कार्यपूर्ति प्रतिभूति):-

"…..it is decided to reduce Performance Security from existing 5-10% to 3% of the value of the contract for all existing contracts. However, the benefit of the reduced Performance Security will not be given in the contracts under dispute wherein arbitration/Court proceedings heve been already started or are contemplated"

(b) Bid Security/Earnest Money Deposit (निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि):-

"…..no provisions regarding Bid Security should be kept in the Bid Documents in future and only provision for Bid Security Declaration should be kept in the Bid Documents."

2. भारत सरकार के उक्त वर्णित कार्यालय–ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सामग्री, निर्माण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति की वर्तमान में प्रचलित और दिनांक 31.12.2021 तक की निविदाओं में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–17 में उल्लिखित कार्यपूर्ति प्रतिभूति की 5-10% की दरों में कमी करते हुये संविदा के मूल्य का 3% एवं नियम–36 में उल्लिखित निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि (Bid Security/Earnest Money Deposit) के स्थान पर दिनांक 31–12–2021 तक प्राप्त होने वाली निविदाओं में निविदा प्रपत्र में Bid Security Declaration का प्रविधान रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त व्यवस्था दिनांक 31–12–2021 तक ही प्रभावी रहेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित पूर्व व्यवस्था दिनांक 01.01.2022 से होने वाली निविदाओं पर स्वतः लागू हो जायेगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 121 (1)/ XXVII(7)/21-32/2007 टी.सी.तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख / मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / बरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 100 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /XXVII(7)50(42)/2012

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक २२ मार्च फरवरी, 2021

विषयः कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निमार्ण कार्यो एवं साज–सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 मई, 2008, शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या–594/XXVII(7) /2010 दिनांक 09 जून, 2010 एवं शासनादेश संख्या–241 XXVII(7)/2012 दिनांक 17 सितम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एंव साज–सज्जा के संबंध में सैन्टेज प्रभार का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त शासनादेशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की समस्त नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत), पंचायतों (ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत) एवं विभिन्न्न विकास प्राधिकरणों में राजकीय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा(परिवर्तित नाम ग्रामीण निर्माण विभाग) द्वारा निर्माण कार्य किये जाने पर उन्हें किसी भी प्रकार का सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– 110 (1) /XXVII(7)50(42)/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।

5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– 43 / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0

प्रेषक,

सौजन्या,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 29 जनवरी, 2021

विषय: निविदा के प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि निविदा प्रकिया के अन्तर्गत निविदा प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :–

1.	निविदा प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम समय निविदा सूचना ।	14 दिवस राष्ट्रीय स्तर पर एवं ग्लोबल स्तर पर 21 दिवस, जैसी भी स्थिति हो टिप्पणी– जहां Pre-bid conference अपेक्षित हो तो उसके clarification/addendum जारी होने के 15 दिन।
2.	तकनीकी निविदा खोलने की अवधि	निविदा जमा होने के एक दिन के पश्चात।
3.	कार्य आवंटन की घोषणा की स्थिति।	कार्य आवटंन के अनुमोदन की तिथि के 3 दिन।
4.	अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने की अवधि।	कार्य आवंटन के पत्र निर्गत होने के दिनांक से 15 दिन।

भवदीय,

(सौजन्या)

सचिव।

संख्या– 43 (1) / XXVII(7)32 / 2007 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः ०२ /XXVII(7)/32/2007 T.C./2020
देहरादूनः दिनांक १६ जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्रापित (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 3 के उप–नियम (14) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"(15) ऐसे देश/देशों, जिनकी सीमाऐं देश की सीमा से मिलती हो, के निविदादाताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारणों के दृष्टिगत् भारत सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध मूल नियमावली में किसी प्रतिकूल प्रावधान के होते हुए भी यथावत् लागू होंगे।"

नियम 9 का संशोधन 3. मूल नियमावली के विद्यमान नियम 9 के उपनियम (1) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
9. (1) सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक हो।	**9. (1)** सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तक हो। **" परन्तु यह कि गुणवत्ता से समझौता किये बिना निम्न प्रतिबन्धों के अधीन विभागीय कार्यकलापों में इस्तेमाल होने वाली रू0 5,00,000 (रू0 पॉच लाख) लाख तक की ऐसी सामग्री, राज्य के पंजीकृत एवं विधिवत् गठित स्वयं सहायता समूहों/संघो से क्रय की जा सकेगी जो उनके द्वारा स्वयं उत्पादित की गयी हो। उक्त नियम ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा उत्पादों की 05 श्रेणियां यथाः हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, किराना और पेन्ट्री, कार्यालय सामान और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता उत्पाद (Handicraft, Handloom textiles,**

grocery & pantry, office accessories and personal care & hygiene product) पर ही लागू होगा।

परन्तु यह भी कि उक्त संशोधन नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से पूर्व ग्राम्य विकास विभाग के अधीन पंजीकृत एवं विधिवत् गठित स्वयं सहायता समूहों/संघों को ही पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।"

नियम 55 का संशोधन 4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 55 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
55. (1) जिन कार्यों/सेवाओं की अनुमानित लागत रूपये 15,00,000 (रू0 पन्द्रह लाख), तक हो, उनके सम्बन्ध में औपचारिक/अनौपचारिक रूप से ऐसे संगठनों/ विभागों/ चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री आदि से, जो समान कार्य–कलापों में संलिप्त हों, सूचनायें एकत्र कर सक्षम परामर्शियों की सूची बनायी जाय।	**55. (1) "जिन कार्यों/सेवाओं की अनुमानित लागत रूपये 20,00,000 (रू0 बीस लाख) तक हो, उनके सम्बन्ध में औपचारिक/अनौपचारिक रूप से ऐसे संगठनों/ विभागों/चैम्बर्स ऑफ कामर्स एन्ड इंडस्ट्री आदि से, जो समान कार्य–कलापों में संलिप्त हों, सूचनायें एकत्र कर सक्षम परामर्शियों की सूची बनायी जाय।"**

आज्ञा से,

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या– / XXVII(7) / 20–50(62) / 2013

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः २५ दिसम्बर, 2020**

विषयः– **भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या–215/CEO-GeM/2020 दिनांक 10 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या–226/CEO-GeM/2020 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या–237/CEO-GeM/2020 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अपने उक्त पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा GeM पोर्टल पर कतिपय अन्य सेवायें इस माह से अतिरिक्त रूप से सम्मिलित की गयी हैं।

2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के उक्त वर्णित पत्र संख्या–215/CEO-GeM/2020 दिनांक 10 नवम्बर, 2020, पत्र संख्या–226/CEO-GeM/2020 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या–237/CEO-GeM/2020 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 की प्रति आपको आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया भारत सरकार के उक्त वर्णित पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

/

(सौजन्या)
सचिव।

संख्या–381 (1) / XXVII(7) / 20–50(62) / 2013, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड।
4. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– 419/XXVII(7)32-2007/2019

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7

देहरादून, दिनांकः 12 दिसम्बर, 2019

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का पूर्णतः अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–129/XXVII(7) 32/2007 दिनांक 14.07.2017 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2017", (समय–समय पर यथासंशोधित) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त नियमावली के माध्यम से अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं के लिये सामग्री, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति और लोक निजी सहभागिता की व्यवस्था करने की प्रकियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता बनाये रखते हुए मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का अनुपालन नहीं करते हुए कार्य को टुकड़ों में विभाजित कर अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अपनायी जा रही है, जो नियमावली के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। इससे राज्य हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।

3– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर–35(8) के अनुसार Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in से ई–प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही की जानी अनिवार्य है। उक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल से निविदा किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

4– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त नियमावली में परिभाषित सक्षम अधिकारी एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या–   /XXVII(7)32-2007 /2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक0), कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
6. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड।
8. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय/कोषागार एवं वित्त सेवायें/ऑडिट/विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7
सं०– 126 /XXVII(7)32/2007 TC/2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल 'भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10 (1) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। विज्ञापन का आकार (साइज) न्यूनतम रखा जाय।	10 (1) समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा निविदाऐं निम्नानुसार आमंत्रित की जाऐगी:– (क) रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) तथा उससे अधिक अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में। (ख) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक एवं रू0 5.00 करोड़ से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय

समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में।

(ग) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में।

(घ) विज्ञापन का आकार (साइज) यथासम्भव न्यूनतम रखा जायेगा।

नियम 32 का संशोधन।

2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
32. राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा शासन के वित्त विभाग की सहमति से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर उद्योग /खादी/सूक्ष्म उद्यम को क्रय/मूल्य में वरीयता दे सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु राज्य में 4000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों/इकाईयों में निर्मित सामग्री पर शासकीय खरीद में 15 प्रतिशत तक Purchase के आधार पर छूट अनुमन्य होगी।	**32.** राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमान्तर्गत स्थापित एवं विनिर्मित (Manufacture) करने वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों (कुटीर, खादी हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) को सामग्री एवं सेवाओं हेतु प्रत्येक आमंत्रित निविदा की मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगी कि यदि प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित न्यूनतम दर (L1) के L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों /क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के लिए L1+15) तक मूल्य उद्धत किया गया हो तो उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे: परन्तु यह कि सूक्ष्म, लघु उद्यमों को L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों/क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के लिए L1+15 प्रतिशत) से अधिक मूल्य की निविदा हेतु कोई क्रय वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

नियम 60 (1) का संशोधन।

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 60 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0 बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 40.00 लाख से कम हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाय परन्तु जहां लागत रू0 40.00 लाख से अधिक हो, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।	60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 1.00 करोड़ तक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी परन्तु जहां लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक हो, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 323 /XXVII(7)/19–50(07)/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

विषयः–छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्य (मेजर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–88/XXVII (3)/कार्य/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2005 की आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआं है कि इमारती सामान, मजदूरी, निर्माण सामग्री आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि के दृष्टिगत छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स), लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) तथा वृहत कार्यों (मेजर वर्क्स) की वर्तमान सीमा को निम्नानुसार संशोधित/परिवर्धित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	वित्तीय सीमाऐं
1	2	3
1.	छोटे कार्य (पेटी वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक न हो।
2.	लघु कार्य (माइनर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 5.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 20.00 लाख से अधिक न हो।
3.	वृहत कार्य (मेजर वर्क्स)	जिनकी लागत रू0 20.00 लाख से अधिक हो।

2. रू0 5.00 लाख से ऊपर तथा रू0 20.00 लाख तक की लागत के लघु कार्यों (माइनर वर्क्स) का निष्पादन उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा।

3. वृहद निर्माण कार्य (मेजर वर्क्स) के आगणन सुसंगत दरों पर गठित कर यथानियम/यथाप्रकिया सक्षम स्तर की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

4. छोटे कार्य (पेटी वर्क्स) व लघु कार्य (माइनर वर्क्स) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा बजटीय सीमा के अधीन रहते हुए वित्तीय नियमों का पालन करते हुये सम्पन्न किये जायेंगे।

5. वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 तथा खण्ड–6 के सुसंगत नियमों में उक्तानुसार संशोधन यथासमय कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः — (1)/XXVII(7) 19–50(07)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, विभागीय लेखा/कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
5. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।